

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी, 2021

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 60 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, के:-

(i) पृष्ठ संख्या 6 पर, क्रम संख्या (64) में,-

‘क्रम सं. 377क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“377क.	7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90, 7326 90 99	सेलूलर मोबाइल फोन के लिए सिम सॉकेट/अन्य यांत्रिक मद (मेटल) (7326 90 99) के सिवाय सभी माल	10%	-	”;

के स्थान पर

‘क्रम सं. 377क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“377क.	7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90, 7326 90 99	सेलूलर मोबाइल फोन के लिए सिम सॉकेट/अन्य यांत्रिक मद (मेटल) (7326 90 99) के सिवाय सभी माल	10%	-	-
377कक.	7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90	सभी माल	15%	-	”;

पढ़ें ।

ii. पृष्ठ संख्या 10 पर पैराग्राफ II में,-

‘(2) खंड (ग) और खंड (ड.) का लोप किया जाएगा;’

के स्थान पर

‘(2) खंड (ख), (ग) और (ड.) का लोप किया जाएगा;

IIक. दूसरे परंतुक में, शब्द, अंक और अक्षर “और 377क” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “377क और 377कक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;’

[फाइल संख्या 334/2/2021-टीआरयू]

(जे. एस. कंधारी)
उप-सचिव, भारत सरकार